न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—323/2011/225 (2011/00074)

1. काली पत्नि भागीरथ पुत्री चौथू, जाति बागरिया, निवासी रामपुरा भूरटिया तहसील दूदू, मु0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
2. लादी पत्नि सूरजकरण पुत्री चौथू, जाति बागरिया, नि0 रामपुरा भूरटिया, तह0 मौजमाबाद हाल निवासी पचाला, तह0 फागी, जिला जयपुर ।

अपीलांटस

बनाम

1. बन्ना,
2. देवा,
3. रामचन्द्र,
   पुत्रान चौथू निवासी ग्राम रामपुरा भूरटिया, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर
4. मेवा,
5. रूपा,
   पुत्रान स्व0 भूरा नाबालिगान सरंक्षक जरिये मॉ रतनी, निवासी रामपुरा भूरटिया, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
6. घासी पुत्र चौथू मु0 लादू, जाति बागरिया, नि0 रामपुरा भूरटिया, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
7. तहसीलदार, मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू दिनांक 19.7.2011 अंतर्गत वाद संख्या 92/2011.

उपस्थितः—

1. श्री एन0एस0 पारीक, वकील अपीलांटस ।
2. रेस्पो0 संख्या 1 से 6 अनुपस्थित ।
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार वकील रेस्पो0 संख्या 7.

निर्णय

दिनांकः— 30.12.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू के निर्णय दिनांक 19.7.2011 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 6 ने रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 5 के विरूद्ध वाद के विचाराधीन रहते प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 के तहत पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजी खतौनी संख्या 25 के आराजी खसरा नंबर 756 रकबा 1.77 है0, खसरा नंबर 757 रकबा 0.53 है0, खसरा नंबर 891 रकबा 0.71 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 3.01 है0 भूमियां वाके ग्राम रामपुरा उर्फ भूरटिया, तह0 मौजमाबाद जिला जयपुर में स्थिज्ञत है जिसका प्रार्थी 1/2, हिस्से का, अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 हिस्सा 1/2 के खातेदार काश्तकार है एवं काबिज काश्त है । विवादित आाजियात प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की राजस्व रिकार्ड में उपरोक्त हिस्सेनुसार अविभाजित आराजियात है परन्तु मौके पर पक्षकारान ने आज से काफी वर्षो पूर्व अपने–अपने हिस्से का बाहमी बंटवारा कर लिया है तथा मौके पर मेडबंदी कर ली है । विवादित आराजियात का राजस्व रिकार्ड में तकासमा नहीं होने से प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य आये दिन मेर, कोर को लेकर विवाद रहने लगा है । प्रार्थी ने अपने हिस्से की आराजी को काफी उन्नत व उपजाउ बना लिया है जिससे अप्रार्थीगण की नियत में फितुर आ गया है तथा अप्रार्थीगण प्रार्थी को विवादित आराजी से बेदखल कर कब्जा करना चाहते है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि विवादित आराजी वर्णित प्रार्थना पत्र के मद नंबर 2 में प्रार्थी को उसके 1/2 हिस्से से बेदखल नहीं करे न ही प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करे तथा राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे । विद्वान अधी0न्याया0 ने प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर दिनांक 19.7.2011 को अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर अप्रार्थीगण को इस अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया कि आगामी आदेशों तक वादग्रस्त आराजी हाल खसरा नंबर 756, 757 व 891 कुल रकबा 3. 01 है0 वाके रामपुरा उर्फ भूरटिया, तह0 मौजमाबाद में रिकार्डेड खातेदार वादी के नाम दर्ज हिस्से के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे । अधी0न्याया0 के इस अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 बावजूद सूचना के अनुपस्थित । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांटस की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 में रेस्पो0 संख्या 6/प्रार्थी ने अपीलांट/प्रार्थी को वाद एवं प्रार्थना पत्र में पक्षकार नियुक्त नहीं किया है जबकि प्रार्थी का विवादित आराजियात में 1/9 हिस्सा होकर काश्तकार है । अधी0न्याया0 के अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 19.11. 2011 से हक व अधिकार प्रभावित हुए है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को अपने अधिकारों हेतु अधी0न्याया0 के आदेश दिनांक 19.11.2011 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अपीलांट का विवादित आराजियात में 1/9 हिस्सा होकर काश्तकार है किन्तु प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 6 अपीलांट को पक्षकार नियुक्त नहीं कर एकतरफा में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश प्राप्त किये है । अपीलांट एवं उसकी अन्य बहिनों द्वारा अधी0न्याया0 में अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र संख्या 65/2004 को प्रस्तुत कर रखी है जिसका अंतिम निर्णय दिनांक 3.11.2009 को अधी0न्याया0 द्वारा हो चुका है जिसमें विवादित आराजी

रकबा 11 बीघा 18 बिस्वा 3.81 है0 भूमि बाबत् रहन, बेय, मुन्तकिल नहीं करने बाबत् पाबंद किया गया तथा रेस्पो0 संख्या 6 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रिसीवरी को खारिज किया गया तथा दिनांक 3.11.2009 का निर्णय अंतिम निर्ण है जिसकी अपील भी नहीं की गई है । बहस में आगे कथन किया कि तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद रेस्पो0 संख्या 6 द्वारा प्रस्तुत किया गया है जबकि अपीलांटस एवं उनकी बहिनों के द्वारा प्रस्तुत वाद घोषणात्मक आज्ञाप्ति, तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पूर्व से सन् 2004 से लंबित है । रेस्पो0 संख्या 6 ने अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में काना दर्ज किया है जबकि काना रिकार्डेड खातेदार नहीं है तथा बन्ना जो कि रिकार्डेड खातेदार है उसे पक्षकार कायम नहीं किया गया है । बिना विभाजन कराये एवं घोषणात्मक वाद विचाराधीन होने के बावजूद अधी0न्याया0 द्वारा कब्जे काश्त का स्थगन जारी किया गया है जो निरस्तनीय है । रेस्पो0 संख्या 6 ने अधी0न्याया0 के समक्ष पूर्ववर्ती वादके तथ्यों को छिपाते हुए एकतरफा स्थगन आदेश प्राप्त किया है जो विधि के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 द्वारा पारित अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 19.7.2011 निरस्त किया जावे ।

6. हमनें अभिभाषक अपीलांटस की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांटस ने अपने प्रार्थना पत्र में स्वंय को विवादित आराजी का 1/9 हिस्से का खातेदार होना अंकित किया है तथा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत वाद एवं प्रार्थना पत्र में अपीलांट को पक्षकार कायम नहीं किये जाने से अपीलाधीन आदेश से अपीलांट के हक व अधिकार प्रभावित होना प्रथमदृष्टया प्रकट होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.7.2011 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

7. प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकेन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट ने अधी0न्याया0 द्वारा पारित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 19.7.2011 के विरूद्ध यह अपील पेश की है । अधी0न्याया0 की पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 के समक्ष घासी वादी/प्रार्थी द्वारा काना, देवा, रामचंद्र पुत्रगण चौथू व मेवा व रूपा पुत्रगण भूरा प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण के विरूद्ध ग्राम रामपुरा उर्फ भूरटिया, तह0 मौजमाबाद स्थित आराजी खसरा नंबर 756 रकबा 1.77 है0, खसरा नंबर 757 रकबा 0.53 है0 एवं 891 रकबा 0.71 है0 बाबत् प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि पेश कर अनुतोष चाहा है कि अप्रार्थीगण प्रार्थी के आधे हिस्से से उसे बेदखल नहीं करे एवं राजस्व व मौके की यथास्थिति बनाये रखे । अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 197.2011 को अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी कर अप्रार्थीगण की तलबी व जवाब के आदेश दिये गये । अपीलांट का कथन है कि अपीलाधीन भूमि में 1/9 हिस्से का काश्तकार है एवं अधी0न्याया0 द्वारा जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से उसके हित व अधिकार प्रभावित हुए है । हम अधिवक्ता अपीलांट के तर्क से सहमत नहीं है क्योंकि यदि अपीलांट अपीलाधीन भूमि के संदर्भ में पारित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पीड़ित है तो अधी0न्याया0 के समक्ष पक्षकार बनने हेतु आवेदन कर सकता है एवं पक्षकार बनने के उपरांत चाराजोही कर सकता है । अपीलांट का यह कहीं भी कथन नहीं है कि मूल वाद में अपीलांट पक्षकार बना लिया गया हो इस कारण उसे हस्तगत अपील प्रस्तुत करने का लोकस स्पटेडांई प्राप्त हो । हमें अधी0न्याया0 के आदेश में कोई तथ्यात्मक त्रुटि प्रकट नहीं होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार

अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

8. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.7.2011 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 30.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर